

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)**  
पीठासीन अधिकारी-

श्री प्रकाश चन्द पवन  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या:  
236/अपील/2016

तारीख दायरा  
07.12.2016

तारीख निर्णय  
01.09.2017

रामकिशन आ0 गोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील  
हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08.11.2016  
नायब तहसीलदार, दबलाना  
अन्तर्गत धारा 22 राज0 उप0 अधि0 1954  
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री सुनील शर्मा, अभिभाषक।  
रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 167/537 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये राज0 उप0 अधि0 1954 की धारा 22 के तहत अतिक्रमी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 375/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है एवं आदेश न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट को अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य पेश करने



का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें पश्चातवर्ती अतिक्रमण का विवरण दर्ज नहीं है तथा पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रति नहीं है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने अतिक्रमी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है। भविष्य में अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई दस्तावेज व साक्ष्य पूर्व में अपीलान्त को बेदखल करने बाबत नहीं लिये है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.-2015 पेज 102, 105 की नजीरे पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2016 निरस्त फरमाया जावे।


पैरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है जिसमें पश्चातवर्ती का विवरण दर्ज है। अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त उपस्थित हुआ है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व रिपोर्ट पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की घटना बही की प्रति संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्त को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्त को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्त के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट व पटवारी बयान तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये जाने का

विवरण दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय तथा पटवारी हल्का द्वारा फसल जब्त व मौके से बेदखल किये गये फर्द मौका की रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश चंद पवन)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज0)